ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड

कार्मिक संबंध विभाग

निगमित नीति अनुभाग

तेल भवन, देहरादून

सं. डीडीएन/सीईआर/1(4)/4-2013 दिनांक : 15.10.2013

विषय: सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए उनकी आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हितलाभ-आशा किरण

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने दिनांक : 08.07.2009 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा संस्तुति की थी कि पीबीटी के अधिकतम 1.5 % का अंशदान करते हुए सीपीएसई कॉर्पस का सृजन करे ताकि उन सेवानिवृत्त कार्मिकों की चिकित्सा तथा अन्य किसी आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जिन्हें पेंशन योजना में तथा/अथवा अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

सेवानिवृत्त कार्मिकों की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई यह योजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है और इसका नाम "आशा किरण" रखा गया है। योजना के अन्तर्गत लाभों का दावा करने के लिए सेवानिवृत्त कार्मिकों/लाभग्राहियों द्वारा भरा जाने वाला अपेक्षित आवेदन विस्तृत योजना सहित संलग्न है।

कार्यकेन्द्रों में प्रभारी मा.सं./का.सं. अपने-अपने कार्य-केन्द्र के पृथक कार्मिक स्थापना (एसईई) के द्वारा योजना का कार्यान्वयन करेंगे। इस योजना को संबंधित प्रभारी मा.सं./का.सं. द्वारा उपयुक्त रूप से हिंदी/अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा, यदि आवश्यक समझा जाए, में सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी संघों (एसोसिएशनों) में व्यापक रूप से परिचलित किया जाए।

पात्र लाभग्राहीव, बैंक के ब्यौरों सहित अपेक्षित प्रोफार्मा में अपने दावे आवेदन अपने-अपने एसईई को सौंपेंगे, जो क्रमश: योजना का कार्यान्वयन कर्ता होगा।

सभी प्रभारी मा.सं./का.सं. को आदेश दिया जाता है कि वे समर्पित कार्मिकों की मदद से प्रारंभ में तीन माह की अवधि के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करें। ये समर्पित कार्मिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आवेदन भरने तथा सौंपने में उनकी सहायता करेंगे तथा साथ-साथ विधिवत सत्यापन के पश्चात सैप प्लेटफार्म में उचित रिकार्ड/आंकड़ा सृजन को भी सुनिश्चित करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा एकसमान रूप से, प्रभावी ढंग से तथा तीव्र गति से योजना का कार्यान्वयन करने के प्रयास किए जाएं। प्रदीप सहारिया

(प्रदीप सहारिया)

अधिशासी निदेशक-प्रमुख कार्मिक संबंध

वितरण :

1. परिसंपति प्रबंधक/बेसिन प्रबंधक/संस्थानों के प्रधान
2. प्रधान क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई।
3. महाधिप्रबंधक (मा.सं.) - प्रधान निगमित एसईई, ओएनजीसी, देहरादून।
4. अ.एवं प्र. नि./निदेशक (मा.सं.)/निदेशक (वित्त)/निदेशक(अपतट)/निदेशक(अभितट)/निदेशक(प्रौ. एवं क्षेत्रीय से.)/निदेशक (अन्वेषण) के मुख्य कार्यकारी सहायक
5. सभी कार्य केन्द्रों के प्रभारी मा.सं.-का.सं./प्रभारी वित
6. सभी कार्य-केन्द्रों के प्रभारी एसईई।

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
कार्मिक संबंध विभाग
निगमित नीति अनुभाग,तेल भवन, देहरादून

सं. 103(92)/13-एकेएस/सीपी

दिनांक : 15.10.2013

कार्यालय आदेश (42/2013)

आशा किरण

दिशा -निर्देश

दिनांक 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनकी आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वितीय सहायता देने हेतु योजना।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 08.07.2009 के का.ज्ञा. सं. 2(81)-08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI /2009 तथा दिनांक 25.04.2011 के का.ज्ञा.सं.2(81)-08-डीपीई (डब्ल्यूसी) के अनुसार तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यथा-अनुमोदित, सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनकी आपाताकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हित-लाभ प्रदान करने हेतु एक योजना तैयार की गई है। इस योजना को ***'आशा किरण'*** कहा जाएगा।

1. **उद्देश्य**

इस योजना का उद्देश्य उन सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनकी जीवित पत्नियों/पतियों (मृतक कार्मिकों के मामले में) जो दु:खद आपातकालीन स्थितियों का सामना करने में असमर्थ हो, की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

2. **पात्रता**

2.1 नीचे पैरा 2.2 की शर्त के अधीन, योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

2.1 (1) कंपनी के पूर्व नियमित कार्मिक, जो 01.01.2007 से पूर्व अधिवर्षिता को प्राप्त/स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त/ओएनजीसी की सेवा से स्वास्थ्य आधार पर समय-पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों तथा जिन्होंने कंपनी छोडने से पूर्व ओएनजीसी में न्यूनतम पन्द्रह वर्षों की निरंतर सेवा की हो,

अथवा

उनका/उनकी जीवित पति/पत्नी (कंपनी से पृथक होने के पश्चात कर्मचारी की मृत्यु के मामले में)

2.1 (ii) कंपनी के पूर्व नियमित कार्मिक, जो **स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता** के शिकार हो गए, जिसके परिणामस्वरूप वे **01.01.2007 से पूर्व** पृथक हो गए चाहे उक्त पृथक से पूर्व की गई नियमित सेवा कितनी भी हो ।

अथवा

उनका/उनकी जीवित पति/पत्नी (कंपनी से पृथक होने के पश्चात कर्मचारी की मृत्यु के मामले में)

अ०

2.1 (iii) किसी नियमित कार्मिक की ऐसी जीवित पत्नी/पति जिसकी मृत्यु कंपनी की सेवा में रहते हुए **01.01.2007 से पूर्व मृत्यु** हो गई हो, चाहे मृत्यु से पहले की गई नियमित सेवा कितनी भी हो।

2.2 ₹ 10,000 (₹ दस हजार मात्र) प्रतिमाह से अधिक की आय नहीं वाले सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा उनकी जीवित पत्नी/पति (मृतक कर्मचारियों के मामले में) ही इस योजना के अन्तर्गत हित-लाभों के पात्र होंगे । आवेदन पत्र के साथ संभावित लाभग्राही द्वारा एक स्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें यह घोषणा की गई हो कि सभी स्रोतों से उसकी आय ₹ 10,000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं है । इसके अतिरिक्त, सामान्य अधिवर्षिता के अतिरिक्त वाले मामलों में लाभ उस तिथि से उपलब्ध होंगे जिस तारीख को कर्मचारी ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त की हो (अधिवर्षिता की नोशनल आयु)।

3. योजना का प्रबंधन

3.1 निम्नलिखित निदेशकों की बोर्ड स्तरीय समिति, योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी तथा निगमित स्तर पर योजना की निगरानी करेगी :-

1. निदेशक (मा.सं.), ओएनजीसी, पदेन
2. निदेशक (वित), ओएनजीसी, पदेन
3. ओएनजीसी का एक स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नामित।

सुविधा के लिए, उक्त समिति को 'आशा किरण' पर बोर्ड स्तरीय समिति के रूप में जाना जाएगा अथवा संक्षेप में, **'बीएलसी - आशा किरण'**।

बीएलसी-आशा किरण, निधि आबंटन तथा मुद्रास्फीति, आपातकालीन आवश्यकताओं को कम करने वाली लागत तथा संग्रह में उपलब्ध निधि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियों को कम करने के लिए विशिष्ट वर्ष में वितीय सहायता की सीमाओं के बारे में निर्णय करेगी।

3.2 इसके अतिरिक्त, इकाई/कार्य-केन्द्र स्तर पर, निम्नलिखित अधिकारियों की स्थायी समिति गठित की जाएगी :-

1. इकाई स्तर पर प्रभारी वित्त, पदेन
2. पदेन सदस्य सचिव के रूप में इकाई स्तर पर प्रभारी मा.सं./का.सं., जिनको इकाई के पृथक कर्मचारियों स्थापना (एसईई) के प्रभारी द्वारा सहायता की जाएगी।
3. सम्बन्धित स्तर-1 कार्यपालक द्वारा एक ई-6 अथवा इससे उच्च स्तर के अधिकारी को नामित किया जाएगा।

सुविधा के लिए, उक्त समिति को 'आशा किरण पर इकाई स्तरीय समिति अथवा संक्षेप में **'यूएलसी-आशा किरण'** के रूप में जाना जाएगा।

यूएलसी-आशा किरण किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनकी जीवित पत्नी/पति (मृतक कार्मिक के मामले में) से संबंधित एसईई में प्राप्त हुए आवेदनों की संवीक्षा करेगी तथा आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की प्रमात्रा की संस्तुति करेगी।

3.3 संबंधित कार्य-केन्द्र में स्तर-1 कार्यपालक को बीएलसी-आशा किरण द्वारा आबंटित निधियों के भीतर तथा प्रमुख-कार्मिइक संबंध द्वारा कार्य-केन्द्र को हस्तांतरित, **अनुबंध-क** में निर्धारित सीमाओं की शर्त के अधीन, कार्य-केन्द्र की यूएलसी-अथवा आशा किरण की संस्तुतियों के आधार पर अनुदान को संस्वीकृत करने की पूर्ण-शक्तियाँ होंगी ।

4. वित्तीय सहायता मैट्रिक्स

4.1 प्रदान की जाने वाली वितीय सहायता की राशि, प्रभावित पात्र व्यक्ति द्वारा सामना की जा रही आपातकालीन स्थिति की प्रकृति एवं महत्ता पर निर्भर होगी । इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देशों सहित **अनुबंध-क** के रूप में विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियों के लिए उचित उच्चतम सीमा दर्शाने वाली निर्देशात्मक परन्तु सुविस्तृत रहित सूची संलग्न की गई है। **अनुबंध-क** में दर्शाई गई राशियाँ, निश्चित स्थितियों के लिए उच्चतम सीमाएं हैं। राशि का अनुमोदन, आपातकालीन स्थिति की महत्ता, निधि उपलब्धता तथा प्राप्त समवर्ती मांगों को ध्यान में रखते हुए, यूएलसी-आशा किरण की संस्तुतियों के आधार पर स्तर-1 के कार्यपालक द्वारा किया जाएगा। एक कर्मचारी के संबंध में अधिकतम समग्र वार्षिक उच्चतम सीमा ₹ 2,00,000/- (₹ दो लाख मात्र) होगी।

4.2 आपातकालीन स्थिति का सामना करने वाले, योजना के पैरा 2 के अनुसार पात्र लाभग्राही, आपातकालीन की प्रकृति, महत्ता तथा आपातकालीन स्थिति को कम करने के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता को दर्शाते हुए निर्धारित आवेदन फार्म सं. सीएलएम-एकेएस **(अनुबंध-ख)** में स्थितियों को कम करने के लिए वितीय सहायता के लिए आवेदन करेगा।

4.3 लाभग्राहियों की आपातकालीन आवश्यकताओं का मूल्यांकन आपातकालीन स्थितियों की प्रकृति और महत्ता को ध्यान में रखते हुए, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों के आधार पर, उक्त पैरा 3.2 में उल्लिखित यूएलसी-आशा किरण द्वारा किया जाएगा। समिति संबंधित स्तर-1, अनुदान की राशि दर्शाते हुए कार्यपालक को मामले की संस्तुति करेगी।

5. योजना का प्रशासन

5.1 कार्यकेन्द्र में प्रभारी मा.सं./का.सं., संबंधित कार्यकेन्द्र के पृथक कर्मचारी स्थापना (एसएसई) के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगा। योजना को संबंधित प्रभारी मा.सं. उपयुक्त रूप से सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी संघों (एसोसिएशनों) में व्यापक रूप से परिचालित किया जाएगा।

5.2 पात्र लाभग्राही बैंक ब्यौरों सहित **अनुबंध-ख** में अपने दावा आवेदन को संबंधित पृथक कर्मचारी स्थापना को सौंपेंगे, जो योजना के प्रोसेस स्वामी के रूप में कार्य करेंगे। आवेदनों की प्रोसेसिंग तथा यूएलसी आशा किरण के साथ समन्वय इकाई स्तर पर प्रभारी एसईई द्वारा की जाएगी । योजना के अंतर्गत संस्वीकृत राशि को व्यक्ति के खाते में सम्बद्ध वित्त द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्तरित किया जाएगा।

5.3 योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में संरचित प्रारूप में एक तिमाही रिपोर्ट संबंधित प्रभारी मा.सं./का.सं. द्वारा नियमित आधार पर मुख्य का.सं. के कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी। पूरी कंपनी की समेकित स्थिति मुख्यालय में तैयार की जाएगी तथा इसे तिमाही आधार पर 'बीएलसी-आशा किरण' के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। निगमित स्तरीय एसईई इस संबंध में इकाई स्तर पर एसईईएस के साथ समन्वय करेगा।

6. अन्य शर्तें

6.1 योजना की निरंतरता तथा राहत की प्रमात्रा की बीएलसी-आशा किरण द्वारा वर्ष-दर वर्ष आधार पर समीक्षा की जाएगी। किसी विशिष्ट वर्ष में ओएनजीसी के कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) की अपर्याप्तता की स्थिति में, योजना के अन्तर्गत हित-लाभों को आनुपातिक रूप से घटाया जाएगा, ताकि डीपीई केदिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा सके।

6.2 यदि कोई लाभग्राही अपने आवास/व्यवस्थापन के स्थान को बदलता है तो प्रभारी पुराना एसईई चालू वर्ष के दौरान आशा किरण के अन्तर्गत पुराने स्थान पर लाभग्राही को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, के बारे में नए स्थान पर उनके प्रतिपक्ष को तुरन्त सूचित करेगा।

6.3 यदि योजना के किसी उपबंध की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो मामले को आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए प्रमुख-कार्मिक संबंध के कार्यालय को भेजा जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो प्रमुख-कार्मिक संबंध आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए निदेशक (मा.सं.) के माध्यम से बीएलसी-आशा किरण को इसे प्रस्तुत कर सकते हैं तथा बीएलसी-आशा किरण के निर्णय को अंतिम एवं बाध्यकारी के रूप में माना जाएगा।

6.4 आयकर देयता, यदि कोई हो, तो उसे लाभग्राही द्वारा वहन किया जाएगा।

6.5 यह योजना, इसके जारी किए जाने की तिथि से उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होगी।

प्रदीप सहारिया

(प्रदीप सहारिया)

अधिशासी निदेशक-प्रमुख कार्मिक संबंध

अनुबंध-क (दिशा-निर्देशों के लिए)

वित्तीय सहायता संरचना

आशा किरण - दिनांक 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना

सभी स्थलों पर प्रत्येक पृथक कर्मचारी प्रकोष्ठ को उन सभी सेवानिवृत्त कार्मिकों के आंकड़े (डाटा बेस) तैयार/अद्यतन करने होंगे जो किसी विशिष्ट "एसईई" से सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ अथवा किसी भी अन्य प्रकार से सहायता प्राप्त कर रहे हैं । इस डाटा बेस में सभी प्रासंगिक विवरण अर्थात सेवानिवृत्त कार्मिक तथा उसके पति अथवा पत्नी का नाम, आयु, पता (स्वयं अथवा किराए का घर), बैंक विवरण, आश्रितों, यदि हों, के नाम, आयु, लिंग, सेवानिवृत्त कार्मिक के साथ उनके संबंध आदि दर्शाते हुए उनके नाम निहित होने चाहिए ।

विभिन्न स्थितियों के तहत वित्तीय सहायता की प्रतिवर्ष मान्यता निम्नानुसार होगी:-

मद सं.	संक्षिप्त विवरण	वार्षिक सीमा (₹)
(1)	(2)	(3)
1 प्राकृतिक आपदाएं : -		
1 (क)	आवासीय इकाई/घरेलू सामान को आंशिक क्षति	1,50,000
1 (ख)	रिहायशी इकाई की संपूर्ण क्षति, जो अब निवास करने के योग्य स्थिति में नहीं है तथा घरेलू सामान को भी बड़ी क्षति होने पर	2,00,000

यह अनुदान केवल बाढ़, बादल फटने, अग्नि, भवन गिरने, भूकंप, तूफान, चक्रवात, सुनामी, सैलाब आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानि/क्षति होने के मामले में स्वीकार्य होंगे । सामान्य टूट-फूट; मौसमी एवं सामान्य कटाव इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे । उपर्युक्त सूचीबद्ध अनुदान के लिए, आवेदक द्वारा संबंधित स्थानीय नागरिक प्राधिकरण अर्थात सिटी अग्नि शमन सेवा, जिला प्रशासन आदि द्वारा जारी किया गया तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा अथवा यूएलसी-आशा किरण द्वारा नियुक्त एक आकलन दल द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

(क) आवेदक द्वारा अपने दावे के समर्थन में क्षति/हानि से संबंधित दस्तावेजों को फोटो आदि

सहित प्रस्तुत किया जाएगा । लाभग्राही द्वारा धन जारी किए जाने के छ:माह के भीतर बिल और भुगतान वाउचर के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा । आशा किरण के तहत अनुदान के लिए पुन: किए गए किसी भी अनुरोध पर पूर्व अनुदान बिलों का पूर्णत: निपटारा किए जाने पर ही विचार किया जाएगा ।

2. खाद्य अनुपूरक/विटामिन,जीवन रक्षक और पोषण -

(1)	(2)	(3)
2	ये अनुपूरक आहार/विटामिन/टॉनिक प्रभावित व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य बहाली, पोषण के लिए आवश्यक होने चाहिए ।	50,000

इस श्रेणी के अंतर्गत अनुदान, विशेष आहार अनुपूरकों/टॉनिकों/विटामिनों पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध होंगे जो सामान्यता ओएनजीसी चिकित्सा सुविधाओं के तहत शामिल नहीं किए जा रहे हैं । मद संख्या 2 के तहत अनुदान केवल सेवानिवृत्त कार्मिक/पति अथव पत्नी के प्रयोग के लिए स्वीकार्य होगा ।

ये लाभ स्वयं प्रमाणन आधार पर 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी कार्मिकों के लिए उपलब्ध होंगे । 70 वर्ष से कम आयु के लिए, विशेष आहार अनुपूरकों/टॉनिकों/विटामिनों को ओएनजीसी चिकित्सक अथवा किसी योग्य चिकित्सक के परामर्श के आधार पर ही स्वीकार्यता प्रदान की जाएगी तथा इसके लिए डॉक्टर की पर्ची आवश्यक होगी ।

3. वृद्धावस्था गतिशीलता संबंधी मामले :-

(1)	(2)	(3)
3 (क)	सुरक्षा रेलिंग, सपोर्ट, रैंप आदि के प्रावधान हेतु वहन किए गए वास्तविक व्यय (इस सुरक्षा रेलिंग/सपोर्ट का न्यूनतम जीवनकाल 5 वर्ष का होगा)	10,000
3 (ख)	चिकित्सा उपचार/परामर्श के दौरान अस्पताल में आपातकालीन एम्बुलेंस अथवा अल्प स्थगन पर किया गया वास्तविक व्यय आपातकालीन चिकित्सा आदि के कारण परिवहन के मामले को भी शामिल किया जाएगा	30,000
3 (ग)	व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षा की सेवा/मदों पर होने वाले व्यय जो ओएनजीसी चिकित्सा योजना के तहत शामिल नहीं किए जा रहे हैं ।	20,000

उपर्युक्त 3(क) के लिए लिए, अनुदान स्व प्रमाणन आधार पर उपलब्ध होगा ।

इस श्रेणी में अनुदान, पुनर्वास तथा सुरक्षात्मकता सहायता अर्थात आवासीय इकाई, जहां आवेदक

सामान्य रूप से निवास कर रहा है (स्वयं अथवा किराए के आवास में) सुरक्षा रेलिंग/सपिओर्ट/रैंप क्ले लिए किए जा रहे प्रावधान, के साथ-साथ आंशिक अथवा पूर्ण अक्षमता के कारण कमजोरी / आयु संबंधी गतिशीलन हेतु व्यक्तिगत सहायता / घरेलू नर्स संबंधी सहायता को कवर करेगा ।

3 (ख) के लिए, अनुदान केवल पात्र सेवानिवृत्त ओएनजीसी कार्मिक/पत्नी/पति के लिए स्वीकार्य होगा । इसके अलावा, यह अनुदान ओएनजीसी चिकित्सक/पैनलबद्ध चिकित्सक/ किसी सिविल अस्पताल के चिकित्सक के परामर्श प्रमाण-पत्र पर देय होगा कि यह किया जाना एक आपात उपाय के तौर पर आवश्यक था ।

3 (क) तथा 3 (ख) लाभग्राही द्वारा बिल और भुगतान वाउचर के साथ उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।

3 (ग) के लिए यह अनुदान केवल सेवानिवृत्त ओएनजीसी कार्मिक/पत्नी/पति के लिए स्वीकार्य होगा तथा स्व प्रमाणन आधार पर स्वीकार्य होगा ।

उपर्युक्त खण्ड 3 के अंतर्गत शामिल होने वाली सभी मदों की किसी वित्तीय वर्ष की समग्र उच्चतम सीमा 50,000 ₹ होगी ।

4. <u>आश्रित माता-पिता/पत्नी/पति के माता पिता /पौत्रादि के लिए सहायता</u>

(1)	(2)	(3)
4 (क)	माता-पिता/पत्नी/पति के माता-पिता के लिए सहायता जो अनर्जक हैं तथा जिनकी पूरी अथवा आंशिक आवेदक सेवानिवृत्त ओएनजीसी कार्मिक अथवा उनकी पत्नी/उअनके पति के कंधों पर आ गई है ।	30,000
4 (ख)	पौत्रादि के लिए सहायता जो अनर्जक हैं तथा जिनकी पूरी अथवा आंशिक जिम्मेदारी उनके माता-पिता के निधन के उपरांत आवेदक सेवानिवृत्त ओएनजीसी कार्मिक अथवा उनकी पत्नी/उनके पति के कंधों पर आ गई है ।	30,000

4 (क) माता-पिता के नाम आवेदक की सेवा-पंजिका में उपलब्धता के अनुसार व्यक्तिगत रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाएगा । पत्नी/पति के माता-पिता के मामले में, उनके नाम के समर्थन हेतु न्यूनतम ई-2 स्तर के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है कि इनके द्वारा अपने पत्नी/पति के माता-पिता को सहायता प्रदान की गई है ।

4 (ख) लाभग्राही के साथ (पौत्रादि के संबंध को उनके सेवा अभिलेखों में उपलब्ध के अनुसार लाभग्राही के पुत्र/पुत्री के नाम को दुतरफा पड़ताल द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।

उपर्युक्त खण्ड 4 के अंतर्गत कवर होने वाली सभी मदों की समग्र सीमा किसी भी वित्तीय वर्ष में समग्र उच्चतम सीमा 30,000 ₹ होगी ।

5. वित्तीय आपातकालीन स्थितियाँ

(1)	(2)	(3)
5. (क)	आवेदक के कन्धे पर पड़ने वाली किसी अनैच्छिक वित्तीय देयता का होना। आवेदनक द्वारा ऐसे अनैच्छिक वित्तीय देयता के ब्यौरे को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।	50,000
5. (ख)	जहां सेवानिवृत्त ओएनजीशियन/पत्नी/पति दरिद्र स्थितियों/अत्यंत निर्धनता के दौर से गुजर रहा होता है।	30,000

उक्त 5(क) के लिए, योजना के अन्तर्गत दावे को पुष्ट करने के लिए आवेदन के साथ मामले के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं।

उक्त खंड 5 (ख) के लिए, इस संबंध में आवेदक से स्व-प्रमाणन अपेक्षित होगा।
एक वित्तीय वर्ष में उक्त खंड 5 के अन्तर्गत सम्मिलित सभी मदों के लिए समग्र उच्चतम सीमा 60,000/- ₹ की होगी।

6. आतंकवाद कृत्यों का शिकार होना

उक्त 6 के अन्तर्गत अनुदान के लिए, आवेदक ऐसी घटना का प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तथा कि प्रभावित व्यक्ति को क्षति हुई है। इस खंड के अन्तर्गत एक वितीय वर्ष में समग्र उच्चतम सीमा 70,000/- ₹ की होगी।

7. अन्य कोई आपातकालीन स्थिति

(1)	(2)	(3)
7.	अन्य कोई आपातकालीन आवश्यकता जो उक्त में सम्मिलित नहीं की गई है।	60,000

उक्त 7 के अनुदान के लिए, अनुरोध की मामला-दर-मामला आधार पर जांच एवं मूल्यांकन किया जाना है।

<u>एक कर्मचारी के संबंध में अधिकतम समग्र वार्षिक उच्चतम सीमा ₹ 2,00,000/- (₹ दो लाख मात्र) की होगी।</u>

फार्म सं. सीएलएम - एकेएस

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड

Oil and Natural Gas Corporation Limited

आशा किरण योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु आवेदन

Application for Grant of Financial Assistance Under *Asha Kiran* Scheme

क. सेवानिवृत्त कार्मिक और आवेदक का विवरण

सीपीएफ सं.		नाम:	
अंतिम पदनाम			
कार्यभार ग्रहण तिथि	- -	जन्म तिथि	- -
पृथक्करण की तिथि	- -	तैनाती का अंतिम स्थान	
पृथक्करण की प्रकृति		लिंग (√)	पुरूष ☐ महिला ☐

आवेदक का नाम और वर्तमान पता	एसटीडी व दूरभाष संख्या मोबाइल / संख्या:	सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ संबंध (√)	स्व ☐ पति / पत्नी ☐
पैन (अनिवार्य)		आधार संख्या (वैकल्पिक)	

ख. दावे का विवरण (आपात स्थिति का सामना करने की अनुरोध राशि सहित) :

क्र. सं.	आशा किरण के तहत आपातकालीन स्थिति के लिए अपेक्षित सहायता का विवरण*	राशि (₹)
1		
2		
3		
	योग	

* सहायक दस्तावेज संलग्न करें। यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त प्रपत्र संलग्न करें।

ग. मौजूदा वित्त वर्ष में आशा किरण योजना के अंतर्गत पहले से ही प्राप्त की गई सहायता का ब्यौरा :

क्र.सं.	अनुदान प्राप्ति का प्रयोजन	भुगतान की तिथि	राशि (₹)
1			
2			
		योग	

घ. प्राप्त किए गए अन्य लाभों के ब्यौरे :

घ.1 पीआरबीएस के तहत प्राप्त किए जा रहे मासिक लाभ, यदि कोई हो :

बीमाकर्ता	मासिक राशि (₹)	वार्षिकी विकल्प

घ.2 अग्रणी सम्मान के तहत प्राप्त की गई मासिक सहायता, यदि कोई हो :

अग्रणी सम्मान (लाभार्थी का नाम)	मासिक राशि (₹)	स्व/पति या पत्नी

ङ. **आवेदक के बैंक का ब्यौरा:**

बैंक और शाखा का नाम व पता	
खाता संख्या (एक रद्द चेक संलग्न करें)	
आईएफएससी कोड	

च. **प्रमाणन**

आय की घोषणा: मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सभी स्रोतों से मासिक आय ₹ 10,000/- (मात्र ₹ दस हजार) प्रति गाह से अधिक नहीं है । यह प्रमाण पत्र ओएनजीसी की 'आशा किरण' योजना के तहत लाभ का दावा करने के प्रयोजन से प्रेषित किया जा रहा है । इस जानकारी के गलत पाए जाने के मामले में, ओएनजीसी द्वारा मेरे विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सकती है, परंतु यह कार्रवाई उक्त योजना के तहत पहले से ही संवितरित किए गए किन्हीं लाभों, यदि हो, की वसूली तक सीमित नहीं होगी ।

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर**

संलग्न सहायक दस्तावेज:

1.		5.	
2.		6.	
3.		7.	
4.		8.	

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

(पृथक कार्मिक स्थापना के प्रयोग हेतु)

आवेदन की प्राप्ति की तिथि (सभी प्रकार से पूर्ण) : _____

आशा किरण की यूनिट स्तरीयसमिति द्वारा संस्तुत राशि (₹) : _____

सक्षम प्राधिकारीद्वारा अनुमोदित राशि (₹) (अनुमोदन की सप्रति संलग्न करें) : _____

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, पूर्व लेखा-परीक्षा के अधीन ₹ _____ (₹) _____ के भुगतानहेतुअनुशंसित ।

दिनांक: **प्रभारी, पृथक कर्मचारी स्थापना के हस्ताक्षर एवं मोहर**

(वित्त एवं लेखा के प्रयोग हेतु)

आशा किरण योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए ₹ _____ (₹) _____ के भुगतानहेतुपारित किया गया ।

दिनांक: **वित्त एवं लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर**

स्व प्रमाणन

(यह केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है, जिनमें पूर्व-कार्मिकों द्वारा स्वप्रमाणिकता की प्रस्तुति आवश्यक है।
ओएनजीसी द्वारा दिनांक 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए अपने कर्मचारियों की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कराने के लिए आरंभ की गई 'आशा किरण' योजना के संदर्भ में, मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि:

1. मैं/मेरा पति/मेरी पत्नी ओएनजीसी की नियमित सेवा में था/थी और मैंने/उन्होंने ओएनजीसी में बिना किसी सेवा-भंग के निरंतर, सेवा की न्यूनतम 15 वर्ष तक की सेवावधि का कार्यकाल पूरा किया है ।
2. मैं 'आशा किरण' योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने की पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/करती हूं ।

इसके अलावा, मैं एतद्द्वारा उन आपातकालीन स्थितियोंके संबंध में स्व प्रमाणन प्रस्तुत करता/करती हूँ जिनका सामना मैं वर्तमान में कर रहा/रही हूँ और उन आपातकालीन स्थितियों को समाप्त करने के लिए मुझे ओएनजीसी की सहायता की आवश्यकता है ।

	मद सं.	विवरण
1	2	प्रमाणित किया जाता है कि मैंने दिनांक .... को 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है । मैं स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने, पोषण के प्रयोजन हेतु विशेष भोजन अनुपूरकों/टॉनिक/विटामिनों पर ₹ ....खर्च कर रहा हूँ और मैंने ओएनजीसी से सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना के तहत इन मदों के लिए किसी प्रकार की राशि का दावा नहीं किया है । **हस्ताक्षर**
2	3 (क)	प्रमाणित किया जाता है कि मुझे अपनी आवासीय इकाई में सुरक्षा रेलिंग/सपोर्ट रैंप की व्यवस्था करने के लिए ₹ .... खर्च करना पड़ता है। **और / अथवा** मुझे अपने दुर्बल स्वास्थ्य/गतिविधियों में अक्षमता के कारण अपेक्षित व्यक्तिगत सहायता लेने के लिए ₹ .... खर्च करनापड़ता है, जिसके लिए मैंने ओएनजीसी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना के तहत इस बाबत किसी राशि का दावा नहीं किया है । **हस्ताक्षर**
3	3 (ग)	प्रमाणित किया जाता है कि मुझे व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सुरक्षा संबंधी सेवाओं/मदों पर ₹ .... खर्च करना पड़ता है, जो ओएनजीसी चिकित्सा योजना के तहत कवर नहीं होती है। **हस्ताक्षर**
4	5 (ख)	प्रमाणित किया जाता है कि मैं अत्यंत कठिन परिस्थितियों/अति निर्धनता की स्थिति में गुजर कर रहा हूँ तथा मुझे अपनी कठिन परिस्थितियों से उबरने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है । इस विषम परिस्थिति से उबरने के लिए मुझे इस मद के अंतर्गत ₹ .... का अनुदान प्रदान करें। **हस्ताक्षर**